कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

पत्रांक :

प्रेषक : जे0 बी0 जौहर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, रांची।

सेवा में,
सरकार के सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग
झारखण्ड सरकार, रांची।

रॉंची/दिनांक : जनवरी, 2009

विषय : वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 में कार्यान्वित की जाने वाली पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत ***1024.451 लाख (दस करोड़ चौबीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ) रू०*** की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2008–09 में वनरोपण कार्य हेतु ***528.817 (पाँच करोड़ अठाइस लाख एकासी हजार सात सौ) रू०*** का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

1. **पथ तट रोपण–सह–षहरी वानिकी योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना)** एक चालू योजना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय विकास एवं शहरी सौंदर्यीकरण हेतु कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पथों, राज्य पथों और अन्य सड़कों के दोनों किनारे एवं शहरी क्षेत्र के पथों के किनारे तथा सरकारी उपक्रमों, षिक्षण संस्थानों, पहाड़ियों आदि में छायादार/फल एवं फूलदार/इमारती काष्टवाली/अन्य सौंदर्यकारक वृक्ष–प्रजातियों, यथा बीजू आम, कटहल, महुआ, इमली, करंज, सागवान, गम्हार, सेमल, बेल, जामुन, नीम, अमलतास, गुलमोहर इत्यादि का वृक्षारोपण कार्यं का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के संपादन का प्रस्ताव है :–

i) **रॉंची शहर एवं उसके आस–पास के पहाड़ियों को हरा–भरा करने का कार्य :** उपरोक्त चालू योजना के अंतर्गत यह नये कार्य का प्रस्ताव है। रॉंची शहर में हरियाली कम होने तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों की पहाड़ियों पर सघन वन नहीं होने के कारण यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। अतएव, इस क्षेत्र की पहाड़ियों (800.00 हे0 में) को हरा–भरा करने का कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में अग्रिम कार्य किये जाते हैं जिसमें पौधशाला में पौधा तैयार करना, वन रोपण क्षेत्र का सर्वे एवं सीमांकन, घेरान कार्य, झाड़ी सफाई, भू–संरक्षण के लिये कंटूर ट्रेंचिंग और अन्य कार्य, पौधा रोपण हेतु गड्ढे खोदना, इन्ट्री प्वाइंट एवं विविध कार्य किये जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पौधशाला में पौधों की सिंचाई, वनरोपण स्थल पर पौधा रोपण, इन्ट्री प्वाइंट कार्य, ट्रेंच के बर्म पर बीज की रोपनी, रोपित पौधों की

दो कोड़नी–निकोनी तथा विविध कार्य किये जाते हैं। तृतीय वर्ष में एक कोड़नी–निकोनी, उर्वरक देना, गढ्ढा घेरान की मरम्मति, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना और सुरक्षा आदि कार्य किया जाता हैं। चतुर्थ वर्ष में सम्पोषण कार्य के अंतर्गत एक कोड़नी–निकोनी एवं सुरक्षा का कार्य किया जाता हैं। इस प्रकार चार वर्षों की यह पूर्ण योजना है जिस पर कुल 306.081 लाख रू0 की लागत आयगी। वर्ष 2008–09 में प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किया जायगा जिस पर 171.521 लाख रू0 व्यय करने का प्रस्ताव है। योजना का विस्तृत व्योरा/वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–1(क)** एवं दर–तालिका **अनुलग्नक–1(ख)** के रूप में संलग्न है।

ii) **पथतट वृक्षारोपण (बाँस–निर्मित गैबियन में)** : उपरोक्त चालू योजना के अंतर्गत यह नये कार्य का प्रस्ताव है। राँची शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के उद्देष्य से सड़क के किनारे 64 कि0मी0 लंबाई में 12800 अदद् बाँस–निर्मित गैबियन में वृक्षारोपण का कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में अग्रिम कार्य, द्वितीय वर्ष में समापन कार्य तथा तीसरे और चौथे वर्ष में सम्पोषण और सुरक्षा का कार्य किया जायगा। इस प्रकार चार वर्षों की यह पूर्ण योजना है जिस पर कुल 135.219 लाख रू0 की लागत आयगी। वर्ष 2008–09 में प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किया जायगा जिस पर 58.368 लाख रू0 व्यय करने का प्रस्ताव है। योजना का विस्तृत व्योरा/ वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–2(क)** एवं दर–तालिका **अनुलग्नक–2(ख)** के रूप में संलग्न है।

iii) **षैक्षणिक एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में वृक्षारोपण (बाँस के गैबियन में)** : उपरोक्त चालू योजना के अंतर्गत यह नये कार्य का प्रस्ताव है। राँची शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के उद्देष्य से षैक्षणिक एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में 47340 अदद् बाँस–निर्मित गैबियन में वृक्षारोपण का कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में अग्रिम कार्य, द्वितीय वर्ष में समापन कार्य तथा तीसरे और चौथे वर्ष में सम्पोषण और सुरक्षा का कार्य किया जायगा। इस प्रकार चार वर्षों की यह पूर्ण योजना है जिस पर कुल 500.100 लाख रू0 की लागत आयगी। वर्ष 2008–09 में प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किया जायगा जिस पर 215.870 लाख रू0 व्यय करने का प्रस्ताव है। योजना का विस्तृत व्योरा/ वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–3(क)** एवं दर–तालिका **अनुलग्नक–3(ख)** के रूप में संलग्न है।

iv) **शहरी क्षेत्र के स्थायी पौधषालाओं का रख–रखाव** : उपरोक्त चालू योजना के अंतर्गत यह नये कार्य का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों में स्थित स्थायी पौधषालाओं का रख–रखाव नरेगा से किया जाना संभव नहीं होने के कारण इनमें से फिलहाल अत्यावष्यक 12.00 हे0 स्थायी पौधषाला का रख–रखाव का कार्य किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 में उक्त कार्य पर 39.225 लाख रू0 व्यय होगा। योजना का विस्तृत व्योरा/ वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–4(क)** एवं दर–तालिका **अनुलग्नक–4(ख)** के रूप में संलग्न है।

v) **सीड आर्चड की स्थापना का समापन कार्य** : वित्तीय वर्ष 2007–08 में जिन 11 वन प्रमंडलों में कुल 15.35 हे0 में क्लोनल सीड आर्चड्स की स्थापना के लिए अग्रिम कार्य किया गया था उसका समापन कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 में किया जायेगा। इन कार्यों को पूरा करने के लिए 8.833 लाख रू0 व्यय होगा। योजना का विस्तृत व्योरा/वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–5(क)** एवं दर–तालिका **अनुलग्नक–5(ख)** के रूप में संलग्न है।

vi) **नेपाल हाउस का सौन्दर्यीकरण** : चालू योजना के अंतर्गत यह नये कार्य का प्रस्ताव है। नेपाल हाउस सचिवालय परिसर के सौन्दर्यीकरण हेतु गमला में सदाबहार और मौसमी फूल–पत्तीदार पौधों की व्यवस्था की जायगी तथा बाग/लॉन का विकास किया जायगा। इन कार्यों

को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में 5.00 लाख रू0 व्यय करने का प्रस्ताव है। योजना का विस्तृत व्योरा **अनुलग्नक–6** पर संलग्न है।

vii) **सिद्धो–कान्हू पार्क, राँची का विकास :** चालू योजना के अंतर्गत नये कार्य का प्रस्ताव है। इसमें रॉकरी, टॉपियरी, चिल्ड्रेन जोन में स्लाईड एवं स्वींग, डीप बोरवेल (8'' सबमर्शिबल पंप सहित), झरना के लिये पानी का टैंक (प्लेटफॉर्म सहित), स्प्रिंकलर सिस्टम (पानी स्टोरेज संप विद्युत मोटर/पंप सहित) की स्थापना, लोटस पौंड की मरम्मति, दर्शकों के लिये पेयजल, बेंच एवं डस्टबीन की व्यवस्था और टॉयलेट का रिनोवेशन, साईनेज (साईनबोर्ड एवं स्लोगन राईटिंग), उपकरण/उपस्कर (टिकटिंग मशीन, दो ट्रॉली और एक्सेसरीज सहित लॉन–मोवर, बागवानी के अन्य उपकरण आदि) का क्रय आदि कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में 30.00 लाख रू0 व्यय करने का प्रस्ताव है। इस योजना का विस्तृत व्योरा **अनुलग्नक–7** पर संलग्न है।

इस योजना के अंतर्गत व्यय की जानेवाली राषि योजना बजट मुख्यषीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, उपमुख्यषीर्ष 01–वानिकी, जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, लघुषीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपषीर्ष 13–पथ तट रोपण–सह–षहरी वानिकी के अंतर्गत प्राथमिक इकाई मजदूरी तथा आपूर्ति एवं सामग्री के उपबंधित राषि 1885.443 लाख़ रूपए में से अवषेष राषि से विकलनीय होगा।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बजट उपबंध निम्नवत् है :–

क्र0	प्राथमिक इकाईयां	बजट उपबंध (लाख रू0)	द्वितीय अनुपूरक के बाद बजट उपबंध (लाख रू0)	अबतक स्वीकृत राषि (लाख रू0)	अवषेष राषि (लाख रू0)
क)	मजदूरी	1197.797	1371.224	1025.534	345.690
ख)	आपूर्ति एवं सामग्री	199.898	514.219	98.499	415.720
	योग	**1397.695**	**1885.443**	**1124.033**	**761.410**

प्रस्तावित कार्यों के लिए राशि निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगा :–

मजदूरी	–	रू0	271.359	लाख
सामग्री	–	रू0	257.458	लाख
योग	**–**	**रू0**	**528.817**	**लाख**

7. इस योजना अंतर्गत वनरोपण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (विकास), झारखण्ड, रांची के स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा एवं मजदूरी 90.00 रू0 प्रति मानव दिवस होगी। कार्यदर अनु0–1(ख) से 5(ख) एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक–8 के रूप में संलग्न है।

8. प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु0–1(क) से 5(क), 6 एवं 7 पर द्रष्टव्य है।

9. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जानेवाली योजना हेतु अनु0–1(क) से 5(क), 6 एवं 7 में वर्णित प्रमंडलों/बफर क्षेत्र के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक अपने–अपने प्रमण्डल/क्षेत्र के कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

10. इन योजनाओं का कार्यान्वयन होने से वर्ष 2008–09 में 3.015 लाख मानव दिवस का सृजन होगा।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2008–09 की प्रस्तावित कार्यों से संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें।

अनुलंग्नक : यथोक्त

आपका विश्वासी,

ह0/–
(जे0बी0 जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक : रॉंची/दिनांक : जनवरी, 2009

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉंची/ मुख्य वन संरक्षक, विकास (जनजाति क्षेत्र), रॉची/ वन संरक्षक, योजना अंचल, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जे0बी0 जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची।